

प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा

प्रेषक,
वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा... नवारा/आपडा
सेवा में,

आयुक्त के सचिव,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

जिला पदाधिकारी,
सहरसा/सुपौल/मधेपुरा।



सहरसा, दिनांक : 11/9/2014 ई0।

साहाय्य कार्य में लगे नाविकों के दैनिक मजदूरी के दर निर्धारण करने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्रम संसाधन विभागीय निदेश संख्या-1695, 1696 दिनांक 19.06.2014 द्वारा दिनांक 01.04.2014 के प्रभाव से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता लागू किए जाने के फलस्वरूप अर्द्धकुशल श्रेणी के कामगारों हेतु 184=00 (एक सौ चौरासी) रु0 प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है।

अतः आपदा प्रबंधन विभागीय निदेश के आलोक में दिनांक 15.06.2014 के पश्चात कार्य पर लगाये गये नाविकों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु दैनिक मजदूरी 184=00 (एक सौ चौरासी) रु0 होगी।

यह दर अगले आदेश तक लागू रहेगी।

(संचिका संख्या-49-11/96 के टि0पू0-115/टि0, दिनांक 02.09.2014 पर प्रमंडलीय आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त है।)

विश्वासभाजन,

(Signature)
10/9/14
आयुक्त के सचिव,

कोशी प्रमंडल, सहरसा।

08-09-14

197
12/9/14

(Handwritten mark)

क्रमांक 3901 दिनांक 15-9-14

प्रतिनिधि - अनुमंडल पदाधिकारी उदरनिर्माण विभाग, सहरसा
को सूचना के माध्यम से आवेदन कार्यालय प्रेषित।

(Signature)
वरीय प्रभारी पदाधिकारी
आपदा प्रबंधन शाखा
2/11/14
15-9-14